श्री ओविंद
27/8/21

SGM (PESM)
26/8/21

उचित कार्यवाही हेतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1 कार्यालय का नाम–

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता–

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता–

आरुषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया पुत्री डॉ. अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता– फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष– 94141 02459

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक– 21.08.2021

6 आवेदन पत्र शुल्क– 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52F 385885

7 चाही गयी जानकारी का विवरण–

ए– यह कि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर की राशि के भुगतान प्राप्ति हेतु पोस्टल ऑर्डर को किस पोस्ट ऑफिस में पेश किया गया इसकी जानकारी प्रदान करावे।

बी— उन नियमों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे जिनके अनुसार आपके कार्यालय के कार्मिक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा मांगी जाने पर उन्हें देने से इन्कार किया जाता है।

8 यह कि आवेदन के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर में नाम लिखने पर आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य आवेदन के जवाब में सूचित किया गया कि पोस्टल ऑर्डर में केवल कंपनी का नाम लिखना है लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया कि किस वजह से कम्पनी का नाम लिखना है इस कारण इस आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर में पाने वाले का नाम रिक्त रखा गया है जिसे आप जैसा उचित समझे भरकर आवेदन शुल्क की राशि प्राप्त करे।

9 यह कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग ने "श्री एस.पी.गोयल. बनाम डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एण्ड सीपीआईओ, लुधियाना अपील नम्बर सीआईसी/एटी/ ए/ 2007/00344, निर्णय दिनांक 13.06.2007 के मामले में निर्धारित किया है कि है कि फाईल दिखाने के लिये उसका नाम/नम्बर अपीलार्थी से पूछना सही नहीं है। विषय बताने पर फाईल का पता लगाने का कार्य लोक सूचना अधिकारी का है।

10 यह कि माननीय राजस्थान सूचना आयोग जयपुर ने श्रीमती आजाद मेहता बनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर अपील संख्या 2968/2009 निर्णय दिनांक 19.05.2010 के मामले में प्रतिपादित किया कि यदि बिन्दुवार सूचना/उत्तर प्रेषित नहीं किया जाए तो जानबूझकर सूचना से वंचित रखना माना जाएगा।

11 यह कि चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।

Arunjai

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

17 / 21

PAY TO ______________________ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

52F 385885

जारी करने वाले कार्यालय की तारीख सहित मोहर / ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

Rrushi Jain
Flat No 502
Hitawala Tower
Near Celebration
Mall, Udaipur

பத்து ரூபாய் పది రూపాయలు دس روپے